

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं :-

S.N	NAME	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERRED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA
01	SUNITA SOLANKI (RJJO199127004905)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RINIYA (227066) BLOCK TINWARI	JODHPUR	YOMIT JANGID GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAGAT KI KOTHI JODHPUR (227454) BLOCK JODHPUR CITY	JODHPUR	NO
02	BHARTI PUROHIT (RJJO199024011597)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDIYA PRABHAVATI (482657) BLOCK BHOPALGARH	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KABIR NAGAR (480934) BLOCK JODHPUR CITY	JODHPUR	NO
03	RAKHEE SANKHLA RJJO201124008735	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUKNO KI DHANI (476402) BLOCK OSIAN	JODHPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PHADIYA BERA JODHPUR CITY (403531) BLOCK JODHPUR CITY	JODHPUR	NO
04	SHYAM DEV VISHNOI (RJJO200824008067)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARLAYA (225109) BLOCK OSIAN	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THAKKAR BAPA PUNJALA (477781) BLOCK JODHPUR CITY	JODHPUR	NO
05	BHAWANA GEHLOT (RJJO201225023090)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOPASARIYA (219026) BLOCK TINWARI	JODHPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SANSI COLONY RATANDA (480550) BLOCK JODHPUR CITY	JODHPUR	NO

- संबंधित अधिकारियों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- RVRES अधिकारियों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निदेश प्राप्त करेंगे।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिचिरा/मा/संस्था/वी1-वी2/45001/प्राचार्य-स्थानान्तरण/सीएमओ/2023/E-07170/

दिनांक - 17-07-2023

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- संयुक्त सचिव (जीवी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार को उनकी अशा. टि. क्रमांक CM-JS(GB)/SCH.EDU./TR/2023/M-3000 जयपुर दिनांक 11.07.2023 एवं 14.07.2023 के क्रम में।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य-डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर निजी अनुभाग, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है उक्त कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की सूचना अपडेट करें।
- अनुभाग अधिकारी डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
- संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की सूचना तत्काल अपडेट करें।
- संबंधित अधिकारी/रक्षित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.07.17/20:03:41 IST

Reason: Approved

